

(ख) जी हां, उन में से कुछ सामान्य पूल में से बंगले, संसद-कार्य मंत्री तथा आवास समितियों के अध्यक्षों की सिफारिश पर संसद सदस्यों को आवंटित किये जाते हैं।

(ग) जी हां। तीसरी संसद में सामान्य पूल में 35 बंगले संसद सदस्यों को आवंटित किये गये थे, उन में से चौथी लोक सभा में 11 खाली हो गये। ये 11 बंगले, सामान्य पूल के 20 नये बंगलों के साथ आवंटित कर दिये गये हैं। इस प्रकार सामान्य पूल में से संसद-सदस्यों को उपलब्ध निवास स्थान का पूल 55 तक बढ़ गया है। कुछ भागें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इन्हें जब कभी बंगले उपलब्ध होंगे, पूरा किया जायेगा।

एस० डब्ल्यू० पाइप बनाने वाले एक कारखाने पर छापा

7837. श्री मोलहू प्रसाद :

श्री मधु लिमये :

श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्री बैजनाथ वास्कर के एस० डब्ल्यू० पाइप बनाने वाले कारखाने से उस समय बही खाते आदि नहीं पकड़े थे, जब उस कारखाने के प्रांगण पर पहली बार छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुनः केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के पास शिकायत किये जाने पर उपरोक्त कारखाने के प्रांगण और कार्यालय की पुनः तलाशी ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो वहां से क्या क्या वस्तुएं बरामद की गईं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) प्रौर (ख) सम्बन्धित कारखाना मैसर्स अमरनाथ भास्कर एण्ड सन्स फरोदाबाद वालों का है। इस तरह का कोई छापा नहीं मारा गया। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थानीय कर्मचारी कारखाने में तो गये थे लेकिन उन्होंने कारखाने के कोई बही खाते नहीं पकड़े, क्योंकि इस की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ग) यह सच है कि 21 के बाद केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्धित सहायक समाहर्ता तथा निरीक्षण निदेशालय (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) के अधिकारी कारखाने में गये थे लेकिन उक्त कारखाने के कार्यालयों तथा अन्य स्थानों की तलाशी लेने जैसी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(घ) उक्त कारखाने से कोई चीजें बरामद नहीं की गईं।

(ङ) आगे प्रौर कोई कार्यवाही करना सरकार द्वारा जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत कोई अपराध होना नहीं पाया गया।

एस० डब्ल्यू० पाइपों पर उत्पादन शुल्क

7838. श्री मोलहू प्रसाद :

[श्री मधु लिमये :

श्री रवि राय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिप ग्लेजिंग तरीके से बने एस० डब्ल्यू० पाइपों के उत्पादन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जब कि साल्ट ग्लेजिंग तरीके से बने पाइपों पर यह शुल्क नहीं लगाया गया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्पादन शुल्क से बचने के लिये ईश्वर नगर (दिल्ली),

